



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14082024-256382  
CG-DL-E-14082024-256382

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)  
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 14, 2024/श्रावण 23, 1946

No. 171]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 14, 2024/SHRAVANA 23, 1946

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2024

आ.अ.182(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में और धारा 22 की उपधारा

(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग, राजस्थान राज्य सरकार के परामर्श से एतद्वारा तारीख 14 अगस्त 2024 को राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आयोग की अधिसूचना के अनुसरण में इस राज्य से राज्य सभा के लिए होने वाले उप निर्वाचन के संबंध में एतद्वारा-

(i) नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है; और

(ii) उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करता है।

सारणी

रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित अधिकारी	सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी
(1)	(2)
श्री महावीर प्रसाद शर्मा, प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा	श्री संजीव कुमार शर्मा, उप सचिव (प्रशासन एवं सदन), राजस्थान विधान सभा

[फा. सं. 100/रा.स.-राजस्थान/11/2024(2)]

आदेश से,

सुमन कुमार दास, सचिव

**ELECTION COMMISSION OF INDIA****NOTIFICATION**

New Delhi, the 14h August, 2024

**O. N. 182(E).**—In pursuance of Section 21, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission, in consultation with the Government of the State of Rajasthan, hereby-

- (i) designates the officer, specified in column (1) of the TABLE below, to be the Returning Officer; and
- (ii) appoints the officer, specified in column (2) of the said TABLE, to be the Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer in the performance of his functions;

in respect of the bye-election to the Council of States, to be held in the State in pursuance of the Commission's Notification, published in the Gazette of India on 14<sup>th</sup> August, 2024: -

**TABLE**

<b>Officer Designated as Returning Officer</b>	<b>Officers Appointed as Assistant Returning Officers</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>
Shri Mahaveer Prasad Sharma, Principal Secretary, Rajasthan Legislative Assembly	Shri Sanjeev Kumar Sharma, Deputy Secretary (Administration and Table), Rajasthan Legislative Assembly

[F. No. 100/CS-RJ/11/2024 (2)]

By Order,

SUMAN KUMAR DAS, Secy.